

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/2024-7425

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

निम्नांकित अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्द्वारा तुरंत प्रभाव से किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	2	3	4	5
1.	ललित मीणा	AEN (Ele.)	कोटा विकास प्राधिकरण	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
2.	अहसान अली	AEN	बीकानेर विकास प्राधिकरण	नगर विकास न्यास, पाली
3.	नवनीत कुमार	AEN	नगर विकास न्यास बाड़मेर	कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
4.	नवोदित राजपुरोहित	AEN	नगरपालिका आबू पर्वत	नगर सुधार न्यास आबू
5.	तनुज शर्मा	AEN	नगर निगम कोटा उत्तर कोटा।	नगर विकास न्यास, जैसलमेर
6.	रवीश श्रीवास्तव	JEN	नगर विकास न्यास पाली	नगर विकास न्यास भीलवाड़ा
7.	राम कुमार लोधा	EE	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।	कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा।
8.	प्रवीण कुमार	AEN	नगर विकास न्यास भीलवाड़ा	हाउसिंग बोर्ड
9.	प्रशांत चास्टा	AEN(Ele)	नगर निगम हेरिटेज जयपुर	अधिशाषी अभियन्ता के पद विरुद्ध विद्युत जयपुर विकास प्राधिकरण
10.	विजय कुमार जासमेरा	AEN	कोटा विकास प्राधिकरण	जयपुर विकास प्राधिकरण
11.	दिनेश कुमार	AEN	नगर विकास न्यास, अलवर	भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
12.	मनोज कुमार मीणा	AEN(Ele.)	नगर विकास न्यास अलवर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
13.	मनीष आत्रेय	AEN	नगर निगम पाली।	नगर विकास न्यास, अलवर
14.	कुलदीप तंवर	AEN	कोटा विकास प्राधिकरण	भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
15.	बहादुर सिंह	EE	नगर विकास न्यास, अलवर	भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
16.	कानाराम जांगिड	AEN	जोधपुर विकास प्राधिकरण	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार- I)
शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर विकास प्राधिकरण।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
7. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
9. रक्षित (7425)/निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय